संख्या–4716 / 9–आ–1–29 विविध / 98

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़, मथुरा, बांदा, मुजफ्फरनगर, देहरादून, कानपुर, गाजियाबाद,
सहारनपुर, लखनऊ, बुलन्दशहर, फैजाबाद, उन्नाव, बरेली, वाराणसी,
मेरठ, गोरखपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, हरिद्वार, मुरादाबाद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2000

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अधीन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उपविधियां बनाने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया भवन उपविधियों का गजट नोटीफिकेशन अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें लागू किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा–57 के अधीन शासन का अनुमोदन आवश्यक है।

2. अतएव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसकी एक प्रति इस आशय से संलग्न है कि प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण के विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नई उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। यह भी अपेक्षित है कि जनता को संशोधित उपविधि की जानकारी देने हेतु एक सूचना समाचार पत्रों में भी जारी करा दी जाए।

संलग्नक : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं
विकास उपविधि, 2000 की एक प्रति।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या–4716(1) / 9–आ–1–29 विविध / 98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष सम्बन्धित विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू.पी. चेप्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स।
5. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।